F-07-07



सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं . 1898/ Type Approval No. 1898

मद/FOR ITEM: एसयू-30 वायुयान (40 टन क्लास) हेतु एयरक्राफ्ट अरेस्टर बैरियर सिस्टम

Aircraft Arrester Barrier System for Su-30 Aircraft (40 Ton Class)

यह प्रमाणित किया जाता है कि एडीआरडीई, पोस्ट बोक्स सं.51, स्टेशन रोड, आगरा कैंट-282 001, आगरा द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा मेसर्स जॉन गाल्ट इंटरनैशनल, 1ए, माया बिल्डिंग, 17 रोड, खार (पश्चिम), मुंबई-400 052, द्वारा उत्पादित, " एयरक्राफ्ट अरेस्टर बैरियर सिस्टम ", को असेंब्ली आरेखन सं. एएएसयू-00-000, रिविज़न सं.(ए), के अनुसार सू-30 वायुयान में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (कानपुर) के समन्वय से सिस्टम विनिर्देश संदर्भ सं. एडीआरडीई/एएएसयू/ स्पेक/01, दिनांकः मार्च, 2005 एवं टेस्ट शेड्यूल सं. एडीआरडीई/एएएसयू/टीएस/01, दिनांकः जुलाई, 2004 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Aircraft Arrester Barrier System" designed and developed by ADRDE, Post Box No. 51, Station Road, Agra Cantt – 282 001, Agra and manufactured by M/s John Galt International, 1A, Maya Building, 17th Road, Khar (W), Mumbai – 400 052 is hereby approved for production as per Assembly Drawing No.: AASU-00-000, Rev. No. (a) for use in Su-30 Aircraft. It has been tested in co-ordination with RCMA (Kanpur) as per System Specification Ref. No.: ADRDE/AASU/Spec/01, Dated: March, 2005 and Test Schedule No. ADRDE/ AASU/ TS/ 01, Dated: July, 2004. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

पृष्ठ/Page 01 of 02

ਧੂਬ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सं./TA No. 1898 F-07-07

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 30 जून 2021 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता तदुपरांत इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजें के साथ आर सी एम ए (कानपुर), से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 30th June 2021 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Kanpur), for subsequent renewal, Three (3) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस संलग्न टाइप रिकोर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमित लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वार गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects for bulk production being cleared by **DGAQA**, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न/Encl: परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A' सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1898

दिनांक/Date : **19** *July 2016* फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

पा जयपाल / P.JAYAPAL मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness)

K. 6 1/2/2016.

V14131